तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/7/24	वकुलाप उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र हेतु अवसर चाहा गया। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थनापत्र में दिनांक 15/07/24 को पेश हो।	
15/7/24	वकुलाप उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई। मिसल वास्ते आदेश दिनांक 22/7/24 को पेश हो।	
22/7/24	वकुलाप उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र पर मनन किया गया। वकील प्रार्थी का कथन रहा कि विवादित भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 का न तो आवंटन से पूर्व कभी कब्जा रहा है और न ही वर्तमान में आवंटी का कब्जा है। उक्त आवंटित भूमि पर मौके पर पड़त है तथा झाड़ झंखाड़ व बबूल उगे हुये हैं ऐसे में अप्रार्थी सं. 1 बाला के नाम उक्त आराजी खसरा सं. 871/105 पर गैर खातेदारी एवं खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश कानून के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में 2008 RRD पेज 193, 2018 DNJ (2) पेज 667, 2012 DNJ (1) पेज 364 की नजीरें पेश करते हुये प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रकरण में मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने का निवेदन किया गया। जबकि अभिभाषक अप्रार्थी	

न्यायालय जिला ... सत्यमेव जयते बून्दी (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सं. 1 का तर्क रहा कि ग्राम बक्षपुरा की आराजी खसरा सं. 105 में से 5 बीघा भूमि दिनांक 22/5/2009 को अप्रार्थी सं. 1 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत रूप से आवंटन की गई थी. आवंटन के पेटे सम्पूर्ण राशि जमा करा दिये जाने से आवंटी अप्रार्थी को उक्त आवंटित भूमि खसरा सं. 871/105 रकबा 5 बीघा पर खातेदार दर्ज रेकार्ड किया गया। प्रार्थी उक्त खातेदारी आदेश से पीड़ित पक्षकार नहीं है और न ही प्रार्थी को रेफरेंस पेश करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। इसलिए प्रार्थी द्वारा पेश रेफरेंस पोषनीय नहीं है। विधिविरूद्ध रेफरेंस कार्यवाही में मौका कमिश्नर नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होने से प्रार्थनापत्र प्रार्थी खारिज किया जाकर मूल रेफरेंस चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावें। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में RLR 1998 I पेज 123, RLW 197(2) पेज 1304 एवं 2012 RBJ (19) पेज 226 की नजीरें पेश की गई। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 से स्पष्ट है कि ग्राम बक्षपुरा की आराजी ख.सं. 871/105 रकबा 5 बीघा किस्म महरी-II बाला वल्द धन्ना कौम कोली	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पड़त पड़ी होने एवं उस पर झाड़ झंखाड़ व बबूल उगे होने से उस पर अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी निरस्त किये जाने हेतु रेफरेंस धारा 82 LR Act के तहत पेश किया गया। हस्तगत रेफरेंस भूमिधारी तहसीलदार द्वारा नहीं, अपितु निजी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया है, पक्षकारान द्वारा उनके बीच भूमि विवाद के निजी प्रकरण में व्यक्तिगत रेफरेंस नहीं किया जा सकता है धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत निजी रेफरेंस विचारणीय नहीं है, केवल राजकीय हित में प्रस्तुत राजकीय रेफरेंस पर ही धारा 82 के तहत विचार किया जा सकता है जैसा कि 2012 RBJ (19) पृष्ठ-226 में अभिनिर्धारित किया गया है। धारा 82 LR एक्ट एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में हस्तगत रेफरेंस प्रकरण विचारणीय नहीं है। मूल कार्यवाही चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने औचित्यहीन होने से अस्वीकार जाता है साथ ही रेफरेंस विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज किया जाता है। तलबीदा रेकार्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करावें।	
	जिला कलेक्टर, बून्दी	